न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 104/2025

वादी :-
1. आशाराम पुत्र सूरजमल मिर्धा जाति जाट (मिर्धा) निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री आशाराम मिर्धा, स्वयं।
प्रतिवादी सं. 1 - सरकारी पेरोकार।

दिनांकः- 09/03/26

निर्णय

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1707 रकबा 2.0630 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। उपरोक्त खातेदारी भूमि वादी की है। मुझ वादी आशाराम को घर में लाड प्यार से आसुलाल पुकारते थे और वादी के सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम आशाराम लिखा हुआ है। जब वादी आशाराम को उक्त भूमि दिनांक 17.05. 1976 आवंटन हुयी तब नाम उसका आवंटन / नियमन के राजस्व रेकर्ड में आशाराम का नाम का आसुलाल दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी आशाराम का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम आशाराम है। वादी अभी दिनांक 05.06.2025 को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गया एवं हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल को प्राप्त की तब बादी को जानकारी हुयी कि वादी का नाम आशाराम के बजाय आसुलाल वर्ज है तो वादी तहसील कार्यालय बिलाड़ा में गया और तहसीलदार जी के समक्ष अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड आदि पेश कर जमाबंदी में अपने नाम की शुध्रि कराने हेतु का निवेदन किया. जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने उपरोक्त दस्तावेज देखकर वादी को बताया कि आपके सरकारी दस्तावेज में आशाराम नाम लिखा हुआ है और जमाबंदी में आसुलाल लिखा हुआ है और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में शुद्धि करवायी जावे, जिसके लिए आप न्यायालय में कार्यवाही करे, इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड में अपने आशाराम नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। मुझ वादी का पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड आदि सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम आशाराम दर्ज किया हुआ है। वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण स्वीकृत की कार्यवाही नही हो पा रही है और

न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है। इस कारण वादी की खातेदारी भूमि को घोषणा के जरिये शुद्धि करवाने के अधिकारी है। वादी दिनांक 05.06.2025 को हल्का पटवारीजी के पास अपनी खातेदारी भूमि की जमाबंदी की नकल लेने पर तथा वादी अपना नाम शुद्ध करवाने हेतु तहसीलदार जी के पास गये लेकिन प्रतिवादी ने जमाबंदी में गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया। वादी को वादकारण ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम भावी एस बी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1707 रकबा 2.0630 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड में खातेदार आसुलाल पुत्र सूरजमल के स्थान पर आशाराम पुत्र सूरजमल की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा के जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 1707 रकबा 2.0630 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय में आसुलाल, बाबुलाल पुत्र सूरजमल कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज हुआ। उक्त भूमि का आशुलाल को किसी प्रकार का आवंटन नहीं हुआ। आशुलाल व आशाराम दोनों एक ही व्यक्ति है प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र आशाराम पुत्र सूरजमल द्वारा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076-2079 खसरा नंबर 1707 ग्राम भावी, प्रदर्श 2 आधार कार्ड आशाराम पुत्र सूरजमल, प्रदर्श 3 पैन कार्ड आशाराम पुत्र सुरजमल, प्रदर्श 4 राशन कार्ड आदि प्रदर्शित करवाये गये।

कलक्टर
अधिकारी
लाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादी का आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 2 वादी के पैनकार्ड की प्रति, प्रदर्श 3 परिवार राशन कार्ड की प्रति आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त दस्तावेजात में वादी का नाम आशाराम पुत्र सूरजमल दर्ज किया

हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम आसुलाल पुत्र सूरजमल के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण राजस्व रेकर्ड में वादी अपना नाम आशुलाल पुत्र सूरजमल की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने आसुलाल पुत्र सूरजमल के स्थान पर आशाराम पुत्र सूरजमल किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी सिरवी बास के खसरा संख्या 1707 रकबा 2.0630 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में आसुलाल पुत्र सूरजमल के स्थान पर आशाराम पुत्र सूरजमल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :– **बनाम** **प्रतिवादीगण :–**
आशाराम मिर्धा सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :– **104/2025**

निर्णय **दिनांक :–** 09/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री आशाराम मिर्धा वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी सिरवी बास के खसरा संख्या 1707 रकबा 2.0630 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में आयुलाल पुत्र सूरजमल के स्थान पर आशाराम पुत्र सूरजमल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा